निर्णय ब इजलास डॉ॰ जितेन्द्र कुमार सोनी आई॰ए॰एस॰ अपीलीय अधिकारी (कलक्टर), जयपुर

प्रकरण संख्या 63/2025 (सूचना का अधिकार अधिनियम 2005)

रामावतार प्रजापति, एडवोकेट, 41, कैलाशपुरी, कांटा चौराहा, कालवाड़ रोड़, झोटवाड़ा, जयपुर।

अपीलार्थी

बनाम

1. राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी भू–अभिलेख अनुभाग, अतिरिक्त जिला कलक्टर चतुर्थ, कलक्ट्रेट, जयपुर।
2. राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार मौजमाबाद, जिला जयपुर।

प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19 (1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005.

निर्णय   दिनांक 07.10.2025

1. संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी का सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत दिनांक 07.07.2025 को राज्य लोक सूचना अधिकारी के नाम आवेदन मय शुल्क प्रेषित कर राजस्व ग्राम मौखमपुरा तहसील मौजमाबाद के खसरा संख्या 2009/3, 2010/3, 2014/2 व 2015/3 एवं उक्त के हाल खसरान के राजस्व रिकार्ड एवं अभिलेखों से संबंधित सूचनाएं चाही गई थी। नियत समयावधि में चाही गई सूचना उपलब्ध नहीं कराने से यह अपील पेश कर वांछित सूचना दिलाने का अनुरोध किया है।
2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। संबंधित राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी भू–अभिलेख अनुभाग, अतिरिक्त जिला कलक्टर चतुर्थ, कलक्ट्रेट, जयपुर को अपील मीमों की फोटो प्रति प्रेषित की जाकर बिन्दुवार टिप्पणी तलब की गई, टिप्पणी प्राप्त है। अपीलार्थी को नोटिस जारी किया गया। अपीलार्थी अनुपस्थित है।
3. राज्य लोक सूचना अधिकारी से प्राप्त टिप्पणी एवं पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।
4. राज्य लोक सूचना अधिकारी से प्राप्त टिप्पणी क्रमांक 13829 दिनांक 11.09.2025, जिसकी प्रति अपीलार्थी को भी प्रेषित की गई है, के अनुसार अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र अधिनियम की धारा 6(3) के तहत कार्यालय के पत्रांक 17827 दिनांक 17.07.2025 से तहसीलदार मौजमाबाद, जिला जयपुर को अंतरित किया जा चुका है एवं अंतरिती अधिकारी से प्राप्त प्रत्युत्तर क्रमांक 2491 दिनांक 25.09.2025 के अनुसार पत्रांक 2473 दिनांक 18.09.2025 से वांछित सूचना प्रेषित कर दी गई है। सूचना उपलब्ध कराए जाने के उपरांत प्रस्तुत अपील में कोई कार्यवाही अपेक्षित नही है, फलस्वरूप अपील खारिज की जाती है।
5. निर्णय की प्रति हस्ब कायदा उभय पक्ष को जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।
6. निर्णय आज दिनांक **07.10.2025** को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ॰ जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला कलक्टर
जयपुर